सं.12011/03/2008-स्था(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संतान शिक्षा भत्ता – स्पष्टीकरण ।

संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी दिए जाने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 सितंबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 12011/03/2008-स्था(भत्ता) के जारी होने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवकों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा व्यक्त किए गए संदेह निम्नानुसार स्पष्ट किए जाते हैं :

(i) संतान शिक्षा भत्ता विषय पर दिनांक 2 सितम्बर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 12011/03/2008 -स्था(भत्ता) के अनुसार 'वर्ष' एवं 'होस्टल सब्सिडी' की परिभाषा क्या है ?	(i) 'वर्ष' का अर्थ है शैक्षिक वर्ष अर्थात् पूर्ण शैक्षिक सत्र के बारह महीने । (ii) छात्रावास सब्सिडी का अर्थ है सरकारी सेवक द्वारा उठाये गये खर्च यदि उसे अपनी तैनाती /या आवासीय(स्टेशन) से बाहर किसी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में अपने बच्चों को रखना होता है । इसमें भोजन, आवास का खर्च तथा दिनांक 2 सितंबर, 2008 के मूल का.ज्ञा.सं. 12011/03/2008-स्था(भत्ता) के पैरा (ड.) में ब्यौरेवार खर्च शामिल हो सकते हैं ।
(ii) दिनांक 2 सितंबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 12011/03/2008-स्था(ए.एल) में वर्ष 2008-09 के लिए संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्तिकी राशि क्या है ?	इसकी गणना 1 सितम्बर, 2008 से प्रति महीना प्रति बच्चा अधिकतम 1000/-रूपए की दर से यथानुपात आधार पर की जा सकती है ।
(iii) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 2 सितंबर, 2008 का का.ज्ञा.सं. 12011/03/2008-स्था(भत्ता) पॉलीटेकनिक में प्रारंभिक वर्षों के लिए डिप्लोमा कोर्स करने हेतु संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य है ?	ऐसे मामले में जहां पॉलीटेकनिक में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला की न्यूनतम अर्हताएं 10वीं कक्षा होती है और छात्र 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पॉलीटेकनिक में प्रवेश लेता है तो उपर्युक्त पाठ्यक्रम की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कक्षा के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति होगी ।
(iv) क्या डे-बोर्डिंग जो विद्यालय से संबद्ध है या नहीं,	जी नहीं, वे पात्र नहीं हैं ।

(v) क्या नर्सरी से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए प्रतिबंधन जैसा कि संतान शिक्षा भत्ता के संबंध में लागू है, छात्रावास परिदान (सब्सिडी) के लिए भी लागू होता है ?	जी हॉं ।
(vi) यदि बहुल जन्म (मल्टीपल बर्थ) के परिणामस्वरूप बच्चों की संख्या बढ़ कर दो से अधिक हो जाती है तो क्या संतान शिक्षा भत्ता दो से अधिक बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है ?	जी हॉं, यदि जुड़वॉं या बहुल जन्म (मल्टीपल बर्थ) से दूसरे बच्चे के परिणामस्वरूप बच्चों की संख्या बढ़ कर दो से अधिक हो जाती है ।
(vii) क्या संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास परिदान निलंबन या छुट्टी के दौरान स्वीकार्य होगा ?	संतान शिक्षा भत्ता या छात्रावास परिदान सरकारी सेवक के ड्यूटी पर या निलंबन के अधीन या छुट्टी पर (असाधारण छुट्टी सहित) रहने पर स्वीकार्य रहेगा । बशर्ते कि किसी अवधि, जिसे 'अकार्य दिवस' के रूप में माना गया हो, के दौरान सरकारी सेवक उस अवधि के लिए भत्ता/प्रतिपूर्ति/परिदान के लिए पात्र नहीं होगा ।
(viii) क्या दिनांक 11 सितंबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 12011/04/2008-स्था(भत्ता) के अनुसार संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति सरकारी कर्मचारियों के अशक्तता से ग्रस्त ऐसे बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है जो नॉन-फोरमल एज्यूकेशन या वोकेशनल प्रशिक्षण या इसी प्रकार के अन्य अनुदेशों के लिए जाते हैं ?	जी हॉं, जब तक किसी शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चा किसी संस्था अर्थात् केन्द्रीय/राज्य सरकार या यूटी प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त या अनुमोदित संस्था में अध्ययन करता है या जिसकी फीस इनमें से किसी प्राधिकरण क्षारा अनुमोदित हैं, सरकारी सेवक द्वारा भुगतान किया गया संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति इस बात पर ध्यान दिए बिना की जाएगी कि वह संस्था 'मान्यता प्राप्त' है या नहीं । ऐसे मामलों में उपर्युक्त लाभ 5 से 22 वर्षों के बीच की आयु के बच्चों के संबंध में स्वीकार्य होंगे ।

2. इसे वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किया जाता है ।

सिम्मी आर. नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक

सं. 12011/03/2008-स्था(भत्ता) दिनांक 11 नवंबर, 2008

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय/महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा ससिचवालय/मंत्रिमंण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
3. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल ।
5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली ।
6. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद /विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई.11 (बी.) शाखा) ।
9. राजभाषा खंड, (विधायी विभाग), भगवान दास रोड़, नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वेबसाइट www.persmin.nic.in< Allowance पर अपलोड़ करने के लिए
12. 200 अतिरिक्त प्रतियां

सिम्मी आर. नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक